परीक्षा का परिणाम फीसद रहा

जिले के प्रेम कुमार ने 465 ॉप किया
ा मे 17 लाख 23 हजार 9 ात्राए शामिल हुए

पर रही।

कि सलाना माध्यमिक परीक्षा ख 23 हजार 9 सौ 11 छात्र-ए जिसमें 50.12 फीसद पास त्रों में से 13.91 फीसद प्रथम सद द्वितीय श्रेणी और 9.32 श्रेणी प्राप्त किया।

ालों से इंटरमीडिएट परीक्षा के टापर्स में हुए घोटाले के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विवादों में रहा था।

आनंद ने बताया कि इस साल इंटरमीडिएट और सलाना माध्यमिक परीक्षा 2017 के आयोजन के क्रम में परीक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों पर व्यापक बदलाव किया गया था यानी कि फार्म भरने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा के सभी स्तरों पर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कदाचार की संभावना को खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्षिक परीक्षा 2017 में कदाचार को पूरी तरह रोकने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के साथ परीक्षा केंद्रो पर सीसीटीवी लगाया गया था। इसके अतिरिक्त परीक्षा संचालन से संबंधित गतिविधियों की विडियोग्राफी भी कराई गई।

पाक के समर्थन में नारे लगाने वालों पर से हटाया गया देशद्रोह का आरोप

भोपाल, 22 जून (भाषा)।

भारत को हरा कर पाकिस्तान के आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बनने पर आतिशबाजी कर जश्न मनाने व पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के लिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से मंगलवार को गिरफ्तार किए गए 15 लोगों के खिलाफ लगे देशद्रोह के आरोप को प्रदेश सरकार ने गुरुवार को हटा लिया है। बुरहानपुर के पुलिस अधीक्षक आरआरएस परिहार ने बताया कि हमने इन 15 लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 124-ए (देशद्रोह) का आरोप हटा दिया है और इसके स्थान पर भादंवि की धारा 153-ए (सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना) लगाई है। गौरतलब है कि रविवार को लंदन में आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हराया था।

आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1993PLC056347]
पंजी. कार्यालय: 7-सी, I तल, 'जे' ब्लॉक, शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
टेली: 0120-4152766, 4193799, वेबसाईट: www.adharshilacapital.in
ई-मेल आईडी: adharshilacapital@gmail.com

24वीं साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एजीएम की सूचना- एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 24वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 को आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

24वें एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थिति पर्ची की प्रतियां ऐसे सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई हैं जिनके ई मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उसकी भौतिक प्रतियां ऐसे अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं। कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के साथ ही साथ सदस्यों को ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया मंगलवार, 20 जून, 2017 को पूरी कर ली है। 24वें एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.adharshilacapital.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट जैसे www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-मतदान- यह कंपनी, कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीचन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए सदस्यों को ई-मतदान की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। ई-मतदान की अवधि मंगलवार, 11 जुलाई, 2017 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा गुरुवार, 13 जुलाई, 2017 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। 13 जुलाई, 2017 के सायं 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग पद्धति अक्रिय कर दी जाएगी।

सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा मतपत्र के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने के लिए योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बने हों वे **helpdesk.evoting@cdslindia.com** अथवा **admin@skylinerta.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन विवरण प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान नहीं किए हों, एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने ई-मतदान द्वारा अपना मतदान किए हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिए वे अधिकृत नहीं होंगे। जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि, शुक्रवार, 7 जुलाई, 2017 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही ई-वोटिंग के साथ एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। सदस्यों को वार्षिक साधारण सभा की सूचना में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए अपना लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग करना होगा। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए **Frequently Asked Questions (FAQ's)** तथा **www.evotingindia.com** पर उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा सुश्री गुरप्रीत कौर कोहली, कंपनी सचिव, 7 सी, I तल, 'जे' ब्लाक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 से अथवा फोन नं. 0120-4152766 पर संपर्क करें अथवा **adharshilacapial@gmail.com** पर ई-मेल करें।

पुस्तक बंद होना: उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीचन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 8 जुलाई, 2017 से शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 (दोनों दिवस सहित) तक इस एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(गुरप्रीत कौर कोहली)
कंपनी सचिव

तिथि: 21 जून, 2017
स्थान: नई दिल्ली

फेडरल बैंक

आपका संपूर्ण बैंकिंग पार्टनर

परिसम्पत्ति वसूली शाखा, 1/7, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, टेली. 011-25883275
ईमेल: ndlw@fedralbank.co.in

पंजी. कार्यालय: अल्वाये केरल

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1) मै. सुखमणि शिक्षण संस्थान; पंजीकरण सं. 1172/2007-08 तिथि 26.11.2007 के माध्यम से 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी जिसका पंजीकृत कार्यालय 118/446, कौशल पुरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश में है तथा शाखा कार्यालय किम्स क्वीन्स वर्ल्ड स्कूल, मैनावती मार्ग, धानापुर, कानपुर-208002, उत्तर प्रदेश में है। प्रतिनिधित्व द्वारा उसके क) सचिव, श्री मनमिन्दर सिंह, पुत्र श्री सुरवीर सिंह बिन्द्रा तथा (ख) कोषाध्यक्ष, श्रीमती इन्दरजीत कौर, पत्नी श्री मनमिन्दर सिंह (2) श्री मनमिन्दर सिंह पुत्र श्री सुरवीर सिंह बिन्द्रा, तथा (3) श्रीमती इन्दरजीत कौर, पत्नी श्री मनमिन्दर सिंह (4) श्रीमती गुरचरण कौर, पत्नी श्री सुरवीर सिंह बिन्द्रा, सभी 2,3,4 निवासी: 118/446, कौशलपुरी कानपुर

आप 1 प्रधान ऋणधारक तथा आप 2 से 4 सह-ऋणधारक/गारन्टर ने बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद हमारे बैंक की कानपुर शाखा से ऋण प्राप्त किए थे।

(1) ओडी (कैश क्रेडिट) खाता सं. 12305500005532: रु. 50,00,000.00 (रुपए पचास लाख मात्र) 27.7.2015 को स्वीकृत, (2) प्रॉपर्टी पावर (टर्म लोन-टीएल1) 12307100000111: रु. 1,01,00,000.00 (रुपए एक करोड़ एक लाख मात्र) 27.7.2015 को स्वीकृत, (3) प्रॉपर्टी पावर (टर्मलोन-टीएल2) 12307100000129: रु. 2,09,00,000.00 (रुपए दो करोड़ नौ लाख मात्र) 27.07.2015 को स्वीकृत, तथा (4) प्रॉपर्टी पावर (टर्म लोन टीएल3) 12307100000137 : रु. 9,50,00,000.00 (रुपए नौ करोड़ पचास लाख मात्र) 27.7.2015 को स्वीकृत, कुल रु. 13,10,00,000.00 (रुपए तेरह करोड़ दस लाख मात्र) बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए आप 1 ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है:

हाइपोथेकेंटेड चल संपत्तियों का विवरण

(1) टीएल 1, 2 एवं 3- प्लान्ट एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं फिक्चर तथा पहले से अर्जित अथवा प्रस्तावित टर्म लोन्स से अर्जित की जाने वाली अन्य निर्धारित परिसंपत्तियों का हाइपोथेकेशन
(2) सीसी- ट्रस्ट के रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तथा संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों का हाइपोथेकेशन।

बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधाओं की प्रतिभूति के लिए आप 1, मै. सुखमणि शिक्षण संस्थान, द्वारा उसके प्रतिनिधियों (क) सचिव, श्री मनमिन्दर सिंह, पुत्र श्री सुरवीर सिंह बिन्द्रा, तथा (ख) कोषाध्यक्ष, श्रीमती इन्दरजीत कौर, पत्नी श्री मनमिन्दर सिंह तथा आप सं. 2 ने अधोलिखित चल संपत्तियों के संदर्भ में गिरवी द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है।

गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण

आप 1, मै. सुखमणि शिक्षण संस्थान, द्वारा उसके (क) सचिव, श्री मनमिन्दर सिंह, पुत्र श्री सुरवीर सिंह बिन्द्रा तथा (ख) कोषाध्यक्ष, श्रीमती इन्दरजीत कौर, पत्नी श्री मनमिन्दर सिंह ने अधोलिखित अचल संपत्तियों के संदर्भ में गिरवी द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है:

1) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 792, 801, 799, 800, 827, 794 तथा 795, क्षेत्रफल: 0.35526 हेक्टेयर्स जिसमें सम्पत्ति सर्वे नं. 792 उत्तर में सर्वे नं. 793, दक्षिण में सर्वे नं. 801 एवं 802, पूर्व में सर्वे नं. 794 एवं 799 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 791 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 801 उत्तर में सर्वे नं. 792, दक्षिण में सर्वे नं. 805 एवं 803, पूर्व में सर्वे नं. 799 एवं 800 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 802 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 799 जो उत्तर में सर्वे नं. 794, दक्षिण में सर्वे नं. 800, पूर्व में सर्वे नं. 826 एवं 798 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 792 एवं 801 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 800 जो उत्तर में सर्वे नं. 799, दक्षिण में सर्वे नं. 805, पूर्व में सर्वे नं. 826 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 801 से घिरा है; सम्पत्ति सर्वे नं. 827 जो उत्तर में सर्वे नं. 798, दक्षिण में सर्वे नं. 828, पूर्व में सर्वे नं. 828 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 826 से घिरा है, सम्पत्ति सं. 794 जो उत्तर में सर्वे नं. 795, दक्षिण में सर्वे नं. 798 एवं 799, पूर्व में सर्वे नं. 797 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 792 एवं 793 से घिरा है, सम्पत्ति सर्वे नं. 795 जो उत्तर में ग्राम सम्भरपुर की सीमाओं, दक्षिण में सर्वे नं. 794, पूर्व में सर्वे नं. 796 तथा पश्चिम में सर्वे नं. 793 से घिरा है।

2) राजस्व ग्राम बेरी अकबरपुर काचर, तहसील एवं जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में उस पर सभी भवनों तथा सुधारों के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सर्वे नं. 828-एम जिसका क्षेत्रफल: 0.1480 हेक्टेयर्स है जो उत्तर में सर्वे नं. 827 एवं 798 दक्षिण में सर्वे नं. 828, पूर्व में सर्वे नं. 841 एवं 840